23-1-20 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी स्वयं उपस्थित साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पेशकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा रिबट नहीं करने का अंकन करते हुए साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने का अंकन किया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2-3-20 को पेश हो।

रणवीर सिंह
[illegible]

रिबट नहीं करना चाहते हैं, साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते हैं।
[illegible] 23/01/2020

2-3-20 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव

राजस्व वाद संख्या :– 316/2019

1 रणवीर सिह पुत्र श्री कृष्णलाल
पी. गांव रणजीतपुरा तहसील

1 कृष्णलाल पुत्र श्री चेतराम ज
तहसील व जिला हनुमानगढ़
2 सन्तोष पत्नि श्री सुभाष पुत्री
जिला हनुमानगढ़।
3 शकुन्तला पत्नि श्री जगदीश
तहसील टिब्बी व जिला हनुम
4 सुनिता पत्नि श्री इन्द्रपाल पु
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5 तहसीलदार राजस्व हनुमानग

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188

–:: उप

1. श्री रामकुमार सहारण अधिव
2. श्री जयप्रकाश बैनिवाल अधि
3. राज पैराकार

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या
टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्र
के नाम चक नम्बर 1 एल.के तह
संख्या 29/26 के पत्थर नम्बर
8/2/092, 9/2/.092, 10/2
15/1/.242, 18/1/.089, 19/
किला नम्बर 16/1/.013 कुल 1
कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम
से प्राप्त हुई है। रेशमा देवी ने च
दादा चेतराम के नाम गांव सुल्तान
भूमि विक्रय कर चक नम्बर 1 एल
वाद पत्र में वर्णित भूमि विरासतन
संख्या 2 से 4 अपने ससुराल में
नहीं लेना तय किया है।

घराघरू विभाजन में वाद
आज से करीब 1 वर्ष पूर्व वादी
प्रतिवादी संख्या 1 का आधा–आध
संख्या 1 की माता रेशमा देवी के
कि यह कृषि भूमि मेरे नाम करवा
वाद पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी
यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के
किया कि घराघरू समझौते के

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.07 23:08:57 IST
Reason: SelfAttested